



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257539  
CG-DL-E-27092024-257539

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]  
No. 262

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ASVINA 4, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 21/2024

विषय: चीन जन. गण. और सिंगापुर के मूल अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय एंटीऑक्सीडेंट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

- फा. सं.6/23/2024-डीजीटीआर.**— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मै. विनती आर्गेनिक्स लिमिटेड ( जिसे आगे "वीओएल" या "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय एंटीऑक्सीडेंट्स" (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. और सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अंतरिम शुल्क भी लगाने की मांग की है।

**क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीएएस संख्याओं या उनके समतुल्य के अनुरूप एंटीऑक्सीडेंट्स के कतिपय प्रकार हैं:

- क. 6683-19-8 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 1010 के रूप में भी जाना जाता है और उसके समतुल्य इसका रासायनिक नाम पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
- ख. 2082-79-3 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 1076 और उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
- ग. 31570-04-4 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 168 और उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाइ-टर्ट ब्यूटिलफेनिल) फॉस्फाइड है।
- घ. 23128-74-7 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 1098 और उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइइलबिस(3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4 हाइड्रॉक्सी फेनिल प्रोपियोनामाइड)) है।
- ड. 125643-61-0 जिसे एंटीऑक्सीडेंट एल135 या 1135 उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बेन्जीनप्रोपेनोइक एसिड, 3,5-बिस (1,1-डाइमिथाइलएथिल)-4-हाइड्रॉक्सी-, C7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर है।
- च. (क) से (ड.) में उल्लिखित एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण।
- छ. किसी अन्य उत्पाद के साथ (क) से (ड.) में उल्लिखित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण यदि परिणामी मिश्रण में 50 प्रतिशत या उससे अधिक संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स हों।

4. आवेदक ने बताया है कि पीयूसी की परिभाषा में विचारित एंटीऑक्सीडेंट्स के विभिन्न रूप एक उत्पाद हैं। यह देखा गया है कि यद्यपि इन एंटीऑक्सीडेंट्स के विशिष्ट घटक और विशेषताएं विशिष्ट अंतिम जरूरत को पूरा करने के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, परंतु इन संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स को प्राथमिक रूप से प्लास्टिक में वर्धकों के रूप में प्रयोग किया जाता है और इनमें सामान्य कार्यात्मकता होती है। इसके अलावा, उत्पादन उपकरण, उत्पादन प्रक्रिया और परिणामी विशेषताएं व्यापक रूप से समान होती हैं। यद्यपि अतिरिक्त कच्ची सामग्री प्रत्येक एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए विशिष्ट होती हैं, परंतु सभी संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स मूल कच्ची सामग्री के रूप में मेटिलॉक्स का प्रयोग करते हैं। व्यापार और प्रयोग में एंटीऑक्सीडेंट्स घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं।

5. एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रमुख रूप से प्रयोग पॉलीओलेफिन, स्टाइरीन, पीवीसी आदि जैसे प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली पेट्रोकेमिकल कंपनियों में स्टेबलाइजर / वर्धक के रूप में होता है। इन्हें आगे पॉलीओलेफिन, स्टाइरीन, पीवीसी आदि जैसी मूल कच्ची सामग्री के प्रयोग के प्लास्टिक घटक के विनिर्माण के दौरान आगे प्रयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु का प्रयोग रबड़, तेल, कोटिंग और लुब्रिकेंट उद्योग में भी होता है ताकि दीर्घावधिक स्थिरता और टिकाऊपन प्राप्त किया जा सके।

6. पोलिमर्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वर्धक ऑक्सीकरण रोकने के लिए अनिवार्य हैं। प्लास्टिक उत्पादों को उच्च तापमान पर बनाया जाता है जिसमें कच्चे पोलिमर शामिल होते हैं क्योंकि वे थर्मल आक्सीकरण नामक प्रक्रिया में शामिल होते हैं। पोलिमर को स्थिर होने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 और 38 के अंतर्गत आता है। पीयूसी मुख्यतः निम्नलिखित एचएस कोडों: 29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 और 38123990 के अंतर्गत भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने सीएस संख्या के आधार पर एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रकारों पर अलग-अलग पीसीएन के रूप में विचार करने का प्रस्ताव किया है।
- क. 6683-19-8 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 1010 के रूप में भी जाना जाता है।
- ख. 2082-79-3 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 1076 और उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है।
- ग. 31570-04-4 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 168 और उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है।
- घ. 23128-74-7 जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स 1098 और उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है।
- ड. 125643-61-0 जिसे एंटीऑक्सीडेंट एल135 या 1135 उसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है।
- च. (क) से (ड.) में उल्लिखित एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण।
- छ. किसी अन्य उत्पाद के साथ (क) से (ड.) में उल्लिखित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण यदि परिणामी मिश्रण में 50 प्रतिशत या उससे अधिक संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स हों।
9. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति संबंधी उनकी टिप्पणियों / सुझावों को प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को संगत साक्ष्य के साथ अपनी टिप्पणी को साक्ष्यांकित करना अपेक्षित है।
- ख. समान वस्तु**
10. आवेदक ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद को समान वस्तु माना गया है।
- ग. संबद्ध देश**
11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. और सिंगापुर हैं।
- घ. जांच की अवधि (पीओआई)**
12. आवेदक ने जांच अवधि के रूप में जुलाई 2023 – मार्च 2024 (9 महीने) का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 (12 महीने की अवधि) पर जांच अवधि के रूप में विचार किया है। क्षति जांच अवधि में 2020 – 2021, 2021 – 2022, अप्रैल 2022– जून 2023 और जांच की अवधियां शामिल होंगी।
- ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**
13. यह आवेदन मेसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) द्वारा दायर किया गया है। तथापि, संबद्ध वस्तु का उत्पादन वीरल एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (वीएपीएल) जिसने एक नया संयंत्र लगाया है, द्वारा शुरू किया गया था और उसने अप्रैल 2020 में परीक्षण उत्पादन शुरू किया और अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। एनसीएलटी ने दिसंबर, 2023 में अप्रैल 2021 से पूर्वव्यापी रूप से

वीएपीएल और वीओएल के बीच विलय की प्रस्तावित स्कीम को अनुमोदित किया। यह बताया गया है कि विलय से पूर्व की अवधि अर्थात् अप्रैल 2020- मार्च 2021 के लिए रिकार्ड भी वीओएल के पास हैं।

14. भारत में दो अन्य उत्पादक अर्थात् एचपीएल एडिटिव्स लिमिटेड और कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। यद्यपि कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड भी एक नया उत्पादक हैं जिसने 2021 में उत्पादन शुरू किया है। तथापि, एचपीएल एडिटिव्स लिमिटेड (एचपीएल) एक उत्पादक हैं जो क्षति अवधि से पहले भी मौजूद रहा है। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि एचपीएल प्राथमिक रूप से निर्यात बाजार की आवश्यकता पूरी करता है और भारतीय बाजार में अब उसकी बहुत सीमित उपस्थिति है।
15. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि यद्यपि उसने 2019 में परीक्षण प्रयोजनों के लिए चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की कुछ मात्रा आयात की थी। तथापि, उसने न तो पीओआई में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों से किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में पीयूसी के आयातक से संबंध है।
16. उपलब्ध सूचना के आधार पर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। इस प्रकार आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

#### च. कथित पाटन का आधार

##### क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तु के उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम न हों कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
18. इस प्रकार घरेलू उद्योग ने कोरिया गणराज्य से कारखानाद्वार पर भारत में आयात कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जो भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों और चीन जन. गण. के आयातों के संबंध में काफी अधिक है और उचित बाजार कीमत पर आयात किया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से घरेलू उद्योग ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों का लाभ के लिए तर्कसंगत योग सहित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर भी सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए विधिवत समायोजन के बाद इसके आधार पर परिकलित किया गया है।

##### ख. सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य

19. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सिंगापुर के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना / साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, सिंगापुर में कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। यह सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से भी प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी। सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर माने गए हैं और उनमें संबद्ध बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ जोड़े गए हैं।

**ग. निर्यात कीमत**

20. डीजी सिस्टम के अनुसार भारत में आयातों की सूचित सीआईएफ कीमत पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, संभलाई प्रभार, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है।

**घ. पाटन मार्जिन**

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

**छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य**

22. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों के कारण उसे हुई क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से आयातों में पूरी क्षति अवधि और विशेष रूप से पीओआई में वृद्धि हुई है। सापेक्ष रूप से आयात काफी अधिक हैं जबकि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमताएं मौजूद हैं। आयातों की पहुंच कीमत उत्पादन लागत के स्तर से भी कम हैं और घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटे पर बिक्री करने को मजबूर होना पड़ा है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अत्यंत कम है जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता अत्यंत अल्प प्रयुक्त है। मालसूची का स्तर उत्पादन के कम स्तर और बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद काफी अधिक है।

23. घरेलू उद्योग ने यह भी दलील दी है कि यदि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ एक स्थापित उद्योग नहीं माना जाता है तो वैकल्पिक रूप से घरेलू उद्योग को स्थापना के अधीन उद्योग माना जा सकता है। उस मामले में संबद्ध वस्तु के पाटन ने देश में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक बाधा पहुंचाई है। यदि आवेदक के निष्पादन पर केवल उत्पादन के वाणिज्यीकरण की अवधि के बाद की अवधि पर विचार किया जाए तो भी भारी उत्पादन के वाणिज्यीकरण के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है। आयातों की पहुंच कीमत उत्पादन लागत के स्तर से कम है जिससे घरेलू उद्योग को लक्षित कीमत प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आयातों ने घरेलू उद्योग उसके उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने से रोका है। घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है और निवेशों पर आय ऋणात्मक है। घरेलू उद्योग का निष्पादन आवेदक द्वारा अनुमानित स्तरों से काफी कम है।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं।

**ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

25. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

**झ. प्रक्रिया**

26. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

**ज. सूचना प्रस्तुत करना**

27. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) और [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) तथा उनकी प्रति [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
28. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित ढंग और तरीके से तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

**ट. समय सीमा**

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाएगा, से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) और [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) तथा उनकी प्रति [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

34. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
35. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले किसी पक्षकार को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
36. "गोपनीय या अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

37. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
38. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है। घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी अपने टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
39. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
40. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
41. प्रदत्ता सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोधों के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर इस जांच शुरुआत अधिसूचना के खंड-ओ के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
43. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

#### ढ. असहयोग

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा या अलग पत्र के माध्यम से प्रदत्त बाद की समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 26<sup>th</sup> September, 2024

(Case No. AD(OI) 21/2024)

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “certain Antioxidants” originating in or exported from China PR and Singapore.**

1. **F. No. 6/23/2024-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), M/s Vinati Organics Limited (hereinafter referred to as “VOL” or “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “certain Antioxidants” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR and Singapore.
2. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from China PR and Singapore are causing injury to the domestic industry and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject countries. The applicant has also sought interim duties on imports of subject goods from subject countries.

**A. Product Under Consideration (PUC)**

3. The product under consideration in the present investigation is certain types of Antioxidants conforming to the following CAS nos., or their equivalent:
  - a. 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. The chemical name is *Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)*
  - b. 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. The chemical name is *Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate*
  - c. 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents. The chemical name is *Tris(2,4-di-tert butylphenyl) phosphite*.
  - d. 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. The chemical name is *N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4 hydroxyphenyl)propionamide)*
  - e. 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents. The chemical name is *Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched alkyl esters*
  - f. Blends of antioxidants referred to in (a) to (e).
  - g. Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e) with any other product if the resultant blend has 50% or more of the subject antioxidants.



4. The applicant has submitted that the different forms of Antioxidants considered within the PUC definition constitute one product. It is seen that while the specific composition and properties of these antioxidants may differ to meet specific end requirements, these subject antioxidants are primarily used as additives in plastics and share a common functionality. Further, the production equipment, the production process and the resultant characteristics are largely the same. While additional raw materials are specific to each antioxidant, all subject antioxidants use metilox as a base raw material. Antioxidants are closely interlinked in trade and usage.
5. Antioxidants are majorly used in petrochemical companies producing plastics like polyolefins, styrenics, PVC, etc. as the stabiliser/ additives. They are further used during the manufacturing of plastic component using base raw materials like polyolefins, styrenics, PVC, etc. The subject goods are also used in the rubber, oil, coatings and, lubricant industry to provide long term stability and durability.
6. Antioxidant additives in polymers are essential to prevent oxidation. Plastic products are manufactured at high temperatures which compromises the raw polymers, as they are exposed to a process called thermal oxidation. For the polymer to remain stable, antioxidants are introduced during the manufacturing process.
7. The product under consideration falls under Chapter 29 and 38 of the Customs Tariff Act, 1975. The PUC is mainly entering the Indian market under the following HS codes: 29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 and 38123990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
8. The applicant has proposed considering the types of Antioxidants as different PCN, based on the CAS nos.:
  - a. 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents.
  - b. 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents
  - c. 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents
  - d. 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents
  - e. 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents
  - f. Blends of antioxidants referred to in (a) to (e)
  - g. Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e) with any other product if the resultant blend has 50% or more of the subject antioxidants.
9. The interested parties are advised to furnish their comments/ suggestions on the proposed PCN methodology within 30 days from the date of initiation of this investigation. The interested parties are required to substantiate their comments with relevant evidence.

**B. Like Article**

10. The applicant has stated that there is no known difference in the product produced by the domestic industry and the product exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The imported subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the imported subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the article produced by the applicant has been considered as “like article” to the product being imported from subject countries.

**C. Subject Countries**

11. The subject countries in the present investigation are China PR and Singapore.

**D. Period of Investigation (POI)**

12. The applicant has proposed July 2023 – March 2024 (9 months) as the period of investigation. However, the Authority has considered the period of investigation (POI) for the present investigation from 1<sup>st</sup> July 2023 to 30<sup>th</sup> June 2024 (a period of 12 months). The injury investigation period will cover the periods 2020 – 2021, 2021 – 2022, April 22 – June 2023 and the period of investigation.

**E. Domestic Industry and Standing**

13. The application has been filed by M/s Vinati Organics Limited (VOL). However, the production of the subject goods was undertaken by Veeral Additives Pvt Ltd (VAPL), that set up a new plant, commenced trial production in April 2020 and commercialised production in October 2022. The NCLT approved the proposed scheme of amalgamation between VAPL and VOL in December 2023, retrospectively from April 2021. It has been submitted that records for the pre-merger period, i.e., April 2020- March 2021 is also with VOL.
14. There are two other producers in India i.e., HPL Additives Limited and Krishna Antioxidants Pvt Ltd. While, Krishna Antioxidants Pvt Ltd. is also a new producer which started production in 2021, HPL Additives Limited (HPL) is a producer who has been in existence even before the injury period. However, the applicant has claimed that HPL primarily caters to the export market and has very limited presence in the Indian market.
15. The applicant has further claimed that while it had imported some quantities of the subject goods from China PR in 2019 for testing purposes, it has neither imported the subject goods from the subject countries in the POI nor is it related to any exporter or producer from the subject countries or importers of the PUC in India.

16. On the basis of information available and after due examination, the Authority notes that production by the applicant constitutes “a major proportion” of total Indian production. Thus, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the anti-dumping Rules.

#### **F. Basis of Alleged Dumping**

##### **a. Normal Value for China PR**

17. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.
18. The domestic industry has thus determined normal value for China PR based on the import price into India from Korea RP at ex-factory levels, which are significant in relation to total imports of the subject goods into India and in relation to imports from China PR and are being imported at a fair market price. Alternatively, the domestic industry has also determined normal value based on the best estimates of cost of production in India as per the best information available with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits. Normal value for China PR, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits.

##### **b. Normal Value for Singapore**

19. The domestic industry has claimed that efforts were made to get information/evidence of the price of the subject goods in the domestic market of Singapore, however, data relating to price in Singapore was not available. This information is also not available with the Authority from any public source. The normal value for Singapore has been considered on the basis of best estimates of cost of production of subject goods in India along with associated selling, general & administrative expenses, and profits.

##### **c. Export Price**

20. The CIF price reported for imports into India, as per DG System data has been considered for the determination of export price. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port expenses and bank charges. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export prices claimed by the applicant.

##### **d. Dumping Margin**

21. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant.

There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

#### **G. Evidence of Injury and Causal link**

22. Information furnished by the domestic industry has been considered for the assessment of injury to the domestic industry. The applicant has provided sufficient *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by it because of the dumped imports. The imports from subject countries have increased throughout the injury period, and especially in the POI. Imports in relative terms are significant, despite existence of sufficient production capacities with the domestic industry. The landed price of imports is below even the level of cost of production and has forced the domestic industry to sell at significant financial losses. Market share of the domestic industry is quite low while the capacity with the domestic industry remained grossly underutilised. The level of inventories is significant despite its low level of production and sufficient demand in the market.
23. The domestic industry has also contended that in case the domestic industry is not treated as an established industry for the purpose of evaluating material injury, then, in the alternative, the domestic industry may be treated as an establishing industry. In that case, dumping of the subject goods has materially retarded establishment of the domestic industry in the Country. If the applicant's performance is considered only for the period after commercialisation of production, imports have increased despite commercialisation of significant production. The landed price of imports is below the level of cost of production preventing the domestic industry from achieving the target prices. Imports have prevented the domestic industry from increasing its production and sales. The domestic industry has been incurring losses and negative return on investment. The performance of the domestic industry is much below the levels projected by the applicant.
24. The Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries.

#### **H. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

25. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and the causal link between such alleged dumped imports and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**I. Procedure**

26. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**J. Submission of Information**

27. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) and [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) with copy to [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) and [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

28. The known producers/ exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India who are known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed and within the time-limit set out in this initiation notification.

29. Any other interested party may also make its submissions relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit set out in this initiation notification.

30. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

31. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the DGTR, i.e., <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**K. Time Limit**

32. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) and [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) with copy to [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) and [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) within thirty (30) days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

**L. Submission of Information on Confidential Basis**

34. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
35. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
36. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
37. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
38. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The interested parties including the domestic industry can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**M. Inspection of Public File**

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to action under Section O of this initiation notification.
43. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**N. Non-cooperation**

44. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequent time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

**DARPAN JAIN, Designated Authority**